निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 63 / 2023
दायरा दिनांकः—20.10.2023
निर्णय दिनांकः— 9.6.25

उनवान

1.ज्योति आयु 42 वर्ष पत्नि हरिओम जाति ब्राहम्ण निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. ओमप्रकाश आयु 50 वर्ष पुत्र धुलीलाल जाति धाकड
2. सत्यनारायण आयु 40 वर्ष पुत्र कल्लु जाति गुर्जर
3. विरेन्द्र आयु 32 वर्ष पुत्र कल्लु जाति गुर्जर
4. विनोद आयु 28 वर्ष पुत्र कल्लु जाति गुर्जर
5. रामचरण आयु 41 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर
6. रामेश्वर आयु 40 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर
7. गोकुल आयु 70 वर्ष पुत्र बालाबक्श जाति गुर्जर
8. जगमोहन आयु 38 वर्ष पुत्र रामकल्याण जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम दीलोद तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 9.6.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री राजेश भार्गव— प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 (2) आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी खाता संख्या 267 की खसरा नम्बर 305 रकबा 2.1752 है0 वाके माल दीलोद तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में स्थित है। अप्रार्थीगण एक ही परिवार के लड़ाकू—झगडालू दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति है। जिनके द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा करने की नियत से दिनांक 08.10.2023 को हथियारों से लैस होकर आकर प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर ट्रेक्टर चला दिया। जबकि उक्त आराजी पर प्रार्थीया व उसका परिवार निरंतर उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करते चला आ रहा था। प्रार्थीया ने जब बिना किसी विधिक अधिकार के स्वयं के खातेदारी पर कब्जा नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण से निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

या तो सभी तेश में आ गए व प्रार्थीया को धमकी दी कि अब हम तुम्हारी इस जमीन पर जबरन कब्जा करके रहेंगे, तुम लोगों को अब गांव में उक्त आराजी पर खेती नहीं करने देंगे। आराजी पर दोबारा आए तो तुम्हारे हाथ–पैर तोड़ देंगे व जान से खत्म कर देंगे। यदि तुम्हें तुम्हारी व परिवार के लोगों की जान प्यारी है तो इस जमीन को भूल जाओ और अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया के खातेदारीकी कृषि आराजी पर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया। प्रार्थीया एक असहाय महिला होने से उक्त अप्रार्थीगण का कुछ नहीं कर सकी। प्रार्थीया मुताबिक धमकी प्रार्थीगण भयभीत है। यदि प्रार्थीया दोबारा काश्त करने खेत पर गई तो निश्चित मुताबिक धमकी अप्रार्थीगण कोई अप्रिय घटना प्रार्थीया के साथ कारित कर देंगे। प्रार्थीया को उसके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल किए जाने के कारण प्रार्थीया के परिवार को भरण–पोषण कर पाना कठिन हो गया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त भूमि पर बिना किसी वैध अधिकार के कब्जा कर लिया व फसल बो दी। जिसे प्रार्थीया बेदखल कराने की वैधानिक अधिकारी है। 6. यदि प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल नहीं किया व उक्त भूमि को अस्थाई रूप से वाद के निस्तारण तक रिसीवरी में नहीं लिया तो प्रार्थीया को भारी आर्थिक क्षति व मानसिक पीड़ा होगी व साथ ही अप्रार्थीगण के होंसले बुलंद होंगे और वे अपने अवैध उद्देश्यों की पूर्ति में कामयाब हो जाएंगे और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने हेतु होंसले बुलंद हो जाएंगे। प्रार्थीया असहाय महिला होने से उक्त अप्रार्थीगण, जो दबंग लडाकू–झगड़ालू प्रवृथ्तत के गिरोह के सदस्य है। यदि मुताबिक धमकी अप्रार्थीगण प्रार्थीया को दोबारा अपने खातेदारी की उक्त आराजी पर काश्त करने गई तो निश्चित लड़ाई, मारपीट व जनहानि होने की संभावना है। इस कारण प्रार्थीया ताफैसला वाद अपने खातेदारी की कृषि आराजी को रिसीवर कराने की वैधानिक अधिकारी है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम दीलोद सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 267 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम दीलोद पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम दीलोद तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरन बलपूर्वक प्रार्थीया को बेदखल कर कब्जा प्राप्त कर लिया है प्रार्थीया को उसके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल किए जावे के कारण प्रार्थीया के परिवार को भरण पोषण मे काफी परेशानी का सामना करना पडेगा। प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे की आराजी से अप्रार्थीगण को बेदखल नही किया या उक्त आराजी को वाद पत्र के निस्तारण तक रिसीवरी में नही लिया तो प्रार्थीया को आर्थिक क्षति होगी। प्रार्थीया एक महिला है अप्रार्थीगण का सामना नही कर सकती है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी पर तहसीलदार छबडा को रिसीवर में लिया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम दीलोद सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 267 ज्योति पत्नि हरिओम भारद्वाज के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थिया द्वारा भूमि पर थानाधिकारी कवाई को रिसीवर नियुक्त करने का अनुतोष चाहा गया है परन्तु प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो कि प्रार्थिया का भूमि पर कब्जा काश्त रहा है एवं प्रतिवादीगण ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति में, विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त करना न्यायोचित नहीं है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा